लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./2012–13/194 भोपाल, दिनांक 19/02/2013

प्रति,

आयुक्त, जनसंपर्क,
जनसंपर्क भवन,
बाणगंगा रोड़, भोपाल (म.प्र.)

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए संक्षिप्त विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।**

—0—

विषयांतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाना है। नियोजन के लिए संक्षिप्त विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है। इस विज्ञापन का प्रकाशन अग्रणी समाचार पत्रों में दिनांक 22.02.2013 को करवाने का कष्ट करें।

19/2/13
(अरूण कोचर)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक/शि.क./2012–13/195 भोपाल, दिनांक 19/02/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।

19/2/13
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशन हेतु

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन हेतु विज्ञापन

(प्रथम चरण – केवल शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी आवेदकों के लिए)

म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम–6 (8) एवं (9) में दिये गये प्रावधान के अधीन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा दिनांक 22/01/2012 को आयोजित "संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की पात्रता परीक्षा" में अर्ह पाये गये शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्रदेश के जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के निम्नानुसार रिक्त पदों पर प्रथम चरण में नियोजन हेतु जनपद पंचायतों की ओर से ऑनलाईन आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 6 (6), (7) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा–

अ. महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत।

ब. भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत।

स. निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों में से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/डी/380/1773/ 05/आ0प्र0/एक, दिनांक 24.03.06 के अनुसार होगा।

द. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में दिए गये प्रावधान अनुसार होगा।

2. शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :–

(1) नियम, 2005 की अनुसूची–दो के सरल क्रमांक (तीन) में उल्लेखित अनुसार।

(2) उपरोक्त क्रमांक (1) पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी। इसके लिए पृथक से विज्ञापन जारी किया जाएगा।

(3) न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

3. अर्हताएं एवं निरर्हताएं :– आवेदक के लिए अर्हताएं एवं निरर्हताए का विवरण विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है जो कंडिका–7 अनुसार उपलब्ध होगा।

4. संविदा पारिश्रमिक :– नियम, 2005 की अनुसूची–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए मासिक संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) ₹ 5000 देय हैं।

5. नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड : म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम–6 (9) के अनुसार होगी।

6. पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध :– नियम, 2005 के नियम–7 के अनुसार होंगे। विस्तृत विज्ञापन में विवरण दिया गया है।

7. विस्तृत विज्ञापन एवं रिक्तियों का प्रदर्शन :–
प्रदेश के जनपद पंचायत के अधीन संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों का नियुक्तिकर्तावार एवं आरक्षणवार विवरण तथा विस्तृत विज्ञापन www.mponline.gov.in पर दिनांक 26.02.2013 से उपलब्ध रहेगा।

8. अभिलेखों का सत्यापन :–
पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक जो केवल प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमाधारी (डी.एड/बी.टी.सी. या अन्य नाम से प्रचलित) नियम, 2005 की अनुसूची–दो में दी गई शिक्षण/प्रशिक्षण योग्यता अनुसार प्रशिक्षित है, इस चरण में अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रदेश के किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिले द्वारा चिन्हांकित किसी अन्य संस्था/कार्यालय में दिनांक 01.03.2013 से 07.03.2013 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर करा सकते है।

9. एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क से नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विकल्प का चयन:–
अभिलेखों का सत्यापन कराने के उपरांत अभ्यर्थी पात्र होने पर अभ्यर्थी को सत्यापन पंजीयन क्रमांक (रिफरेंस नंबर) प्राप्त होगा। सत्यापन पंजीयन क्रमांक के द्वारा अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन के किसी भी "कियोस्क" से अथवा स्वयं के द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऑनलाईन चयन दिनांक 01.03.2013 को अपरान्ह 3:00 बजे से 08.03.2013 को रात्रि 11.50 बजे तक कर सकते है। आवेदक रिक्त पद के लिए एक से अधिक निकाय के विकल्प का चयन कर सकते है।

10. मेरिट सूची का ऑनलाईन प्रदर्शन :–
नियम, 2005 के नियम–9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया दिनांक 27.03.2012 के अनुसार नियुक्तिकर्तावार चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 20.03.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर जारी की जायेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्तकर्ता अधिकारी को उपस्थिति देना :–
चयनित अभ्यर्थी का चयन जिस जनपद पंचायत के अधीन हुआ है उसे उपस्थिति देने के संबंध में जानकारी पृथक से संसूचित की जाएगी।

12. न्यायालय निर्णय के आदेश के अनुक्रम में प्रक्रियाः–
संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011–12 के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पालन में संबंधित अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन एवं निकायों के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। इनकी नियुक्ति मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

(एस.बी. ओटे)
उप संचालक
आयुक्त लोक शिक्षण के लिए